<u>अति –आवश्यक</u>

<u>यू. ओ. नोट</u>

विषयः– निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जॉच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की पूर्ण ठोस एवं सारगर्भित अनुपालनायें निदेशक, निरीक्षण विभाग की <u>टिप्पणी / आक्षेपानुसार</u> भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– इस शाखा का पत्र कमांक 2243–72 दिनांक 01.07.2021, 2977–3000 दिनांक 15.07.2021, 4037–63 दिनांक 16.08.2021, 4066–93 दिनांक 18.08.2021, 5473–5503 दिनांक 22.11.2021, 962–86 दिनांक 23.12.2021 एवं 3046–70 दिनांक 07.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के कम में लेख है कि ऑडिट कमेटी की बैठकों में निदेशक, निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें लम्बी अवधि से नहीं होने से शासन द्वारा गंभीरता से लिया जाता है, साथ ही बकाया आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण हेतु कैम्प का आयोजन कराने हेतु भी निर्देशित किया जाता है, जिसके कम में आपकी शाखा से संबंधित बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें भिजवाने हेतु पूर्व में समय समय पर पत्र एवं स्मरण पत्र लिखे गये है। किन्तु बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें निदेशक निरीक्षण विभाग से प्राप्त टिप्पणी अनुसार/आक्षेपानुसार नहीं भिजवायी जाकर प्रायः पूर्व में प्रेषित अपूर्ण अनुपालनाओं की फोटोप्रतियॉ ही बिना हस्ताक्षर,सील के बिना नवीनतम स्थिति तथा बिना प्रमाणित साक्ष्यों/दस्तावेजों के साथ भिजवायी जा रही हैं जिसके कारण श्रम एवं समय का अपव्यय होता है व आक्षेप निस्तारण में कोई प्रगति नहीं हो पाती है।आक्षेप निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने से ऑडिट कमेटी की बैठकों में प्रकरण को उच्च अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। इस संबंध में आक्षेपों की अनुपालना हेतु वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग से भी पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

अतः इस संबंध में आपकी शाखा से संबंधित बकाया आक्षेपों की निदेशक निरीक्षण विभाग से प्राप्त टिप्पणी अनुसार पूर्ण,ठोस एवं सारगर्भित संशोधित नवीनतम अनुपालना मय प्रमाणित साक्ष्यों/दस्तावेजों सहित निरस्त योग्य होने वाले आक्षेपों की पालना अविलंब 2 प्रतियों में भिजवाने का श्रम करावें। ताकि प्राप्त अनुपालना पर उचित टिप्पणी अंकित कर निरीक्षण विभाग को भिजवायी जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

सम्बन्धित समस्त शाखा

Kureshi ji_208

यू.ओ.नोट क्रमांक :- प. 3(IV)/आ.कृ/लेखा/आ.जा.प्र./2022–23/5290-5315 दिनांक 14.06.2022

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(1) निजी सचिव –श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, कृषि (ग्रुप–1) शासन सचिवालय जयपुर।

(2) निजी सचिव – श्रीमान् आयुक्त महोदय, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(3) अतिरिक्त निदेशक, कृषि (अनुसंधान) नोडल अधिकारी (सीएजी, पीएसी)।

(4) संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), मुख्यालय, जयपुर।

(5) एसीपी को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार, कृषि

Kureshi ji_209